फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी, मालाखेडा, मुकाम मालाखेडा

नीरज पाण्डेय बनाम दीपक गर्ग वगै0

किस्म मुकदमा प्रार्थना पत्र धारा 212 आरटीए मु0 नं0.........2/166.............सन–2025

...ीख ...म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज 2025/285	नम्बर व तारीख इहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
...09.2025	प्रार्थी ने मूल वाद अन्तर्गत धारा 88,188 आर.टी.एक्ट के साथ–साथ प्रार्थना पत्र 212 आर.टी.एक्ट जरिये अधिवक्ता पेश किया। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर हो। वकील प्रार्थी की एकपक्षीय बहस सुनी गई पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रथम दृष्टया नापूर्ति होने वाली क्षति व सुविधा का सन्तुलन वादी के पक्ष नहीं पाये जाते है। अत: प्रकरण में एक पक्षीय अस्थाई निषेधाज्ञा जारी किया जाना उचित नहीं समझते है। अप्रार्थीगण की तलबी हेतु वकील प्रार्थी रजि0 ऐडी तलबाना पेश करें । पत्रावली दिनांक 16.09.2025 को पेश हो। उपखण्ड अधिकारी मालाखेडा 16/09/25 पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी व प्रार्थी वकील अनु0। चूंकि मूल वाद अदम हाजरी अदम पैरवी मे खारिज हो चुका है। अत: प्रा0 पत्र भी अदम हाजरी अदम पैरवी मे खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल होकर नम्बर से कम हो। वाद पूर्ति संलग्न मूल वाद रहे। उपखण्ड अधिकारी मालाखेडा (अलवर) राज0	